



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092022-239180  
CG-DL-E-28092022-239180

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4371]  
No. 4371]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

का.आ. 4560(अ).—जबकि, केंद्रीय सरकार ने, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27 सितम्बर 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4559 (अ), जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) दिनांकित 28 सितम्बर, 2022 को प्रकाशित की गई थी, के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों, रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), आल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल सहित को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि, उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन उक्त विधि-विरुद्ध संगम से सम्बंधित, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 14017/4/2022-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2022

**S.O. 4560(E).**—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and proviso to sub-section (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government has declared the Popular Front of India and its associates or affiliates or fronts including Rehab India Foundation (RIF), Campus Front of India (CFI), All India Imams Council (AIIC), National Confederation of Human Rights Organization (NCHRO), National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation, Kerala to be unlawful association, vide, notification number S.O. 4559 (E), dated 27th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 28th September, 2022;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby directs that all powers exercisable by it under section 7 and section 8 of the said Act shall be exercised also by the State Government and the Union territory Administration in relation to the above said unlawful association.

[F. No. 14017/4/2022-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.